

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :- प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :- 2022
प्र0सू0रि0 सं 63/22 दिनांक 25/2/22
2. (1) अधिनियम धाराएं 7,7ए भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018.....
(2) अन्य अधिनियम एवं धाराएं 120बी. भा.द.सं.
3. (क) घटना का दिन :- 24.02.2022
(ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- 23.02.2022 समय :- 09.23 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 552 समय 6:30 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :-
(क) चौकी से दिशा एवं दूरी - उत्तर-पश्चिम एवं 65 किलोमीटर
बीट संख्या जुरामदेही सं
(ख) पता:- धान्धोला तिराहा, देवली-जहाजपुर रोड जिला भीलवाडा, राजस्थान।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री नेमराज मीणा
(ख) पिता का नाम :- श्री रामलाल मीणा
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- 28 साल
(घ) राष्ट्रीयता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या जारी करने की तिथि जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय -
(छ) पता :- निवासी भटखेडी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
(1) भैरू सिंह पुत्र लीला राम उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी नांगल चेचिका तहसील कोटपूतली थाना पनियाला जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गांगीथला अति. चार्ज पटवार हल्का उंचा वृत्त गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा।
(2) महेन्द्र कुमार पुत्र फुलचन्द उम्र 32 साल जाति मीणा निवासी रतनपुर थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा (प्राइवेट दलाल)
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य: - 25,000 रुपये
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-

दिनांक 23.02.2022 समय 09.23 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र कुमार मीणा ने मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 97845-57609 पर उसके मोबाईल नम्बर 90571-15427 से कॉल करके बताया कि- "दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को मेरा व मेरे दोस्त नेमराज मीणा के बजरी से भरे हुये दो ट्रेक्टर ट्रौली को जहाजपुर के एसडीएम साहब दामोदर गुर्जर ने गांगीथला तेजाजी के पास रूकवा लिये तथा मौके पर दलाल महेन्द्र कुमार मीणा व पटवारी भैरू सिंह से वार्ता के बाद छोड दिये, जिसकी एवज में अब दलाल महेन्द्र कुमार मीणा व पटवारी भैरू सिंह रिश्वत की मांग कर रहे है। रिश्वत नही देने पर भविष्य में ट्रेक्टर ट्रौली नही चलने देने की धमकी दे रहे है। हम रिश्वत नही देकर रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। अतः जहाजपुर आकर कार्यवाही करें।" उक्त मौखिक सूचना के सत्यापन के क्रम में समय 10.00 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय राम सिंह कानि. 78 व चालक प्रेम प्रकाश कानि. 350 के डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर प्राइवेट वाहन से जहाजपुर रवाना हुआ।

मन् उप अधीक्षक मय हमराह जाबते के रवाना होकर जहाजपुर कस्बा पहुँचा। जहां मुताबिक सूचना के परिवादीगण कस्बा जहाजपुर मे बताये स्थान पर उपस्थित मिलें। परिवादी नेमराज मीणा व जितेन्द्र कुमार मीणा ने एक सादा कागज पर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि - मैं व मेरा दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा दोनों ट्रेक्टर ट्रौली रखते है है तथा खेती-काश्त, रेत/बजरी, पत्थर परिवहन का कार्य करते है। दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को साढे ग्यारह बजे करीब मेरे व मेरे दोस्त जितेन्द्र मीणा के बजरी से भरी ट्रेक्टर ट्रौलियों को एसडीएम साहब दामोदर जी ने प्राइवेट गाडी से गांगीथला तेजाजी के पास आकर हमारे दोनों ट्रेक्टर ट्रौली को रूकवा लिया तथा जब्त

करने की धमकी दी। उसके कुछ समय बाद महेन्द्र कुमार मीणा दलाल वहां आया तथा हमसे कहा कि मुझे पटवारी भैरू सिंह जी ने भेजा है, पटवारी जी की एसडीएम साहब से बात हो गई है, पटवारी जी ने ट्रेक्टर ट्रौली को छोड़ने की एवज में प्रति ट्रेक्टर ट्रौली 50-50 हजार रुपये कुल 1,00,000 रुपये की मांग की है। हमारे द्वारा रुपये देने के आश्वासन पर एसडीएम ने मौके पर ही हमारे दोनों ट्रेक्टर ट्रौली को छोड़ दिया। जिसमें से एक ट्रेक्टर ट्रौली को स्वयं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा गांव छोड़ कर आया था। उसके बाद पटवारी भैरू सिंह व दलाल महेन्द्र कुमार मीणा दोनों मेरे व मेरे दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा से 100,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं एवं रिश्वत नहीं देने पर भविष्य में हमारे ट्रेक्टर ट्रौली नहीं चलने देने की धमकी दे रहे हैं। मैं व मेरा दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा इन लोगो को 100,000 रुपये रिश्वत के नहीं देना चाहते हैं बल्कि इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। मेरी व मेरे दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा की एसडीएम साहब दामोदर जी, पटवारी भैरू सिंह व महेन्द्र कुमार मीणा से कोई आपसी रंजिश नहीं है तथा कोई उधार का लेन-देन भी बकाया नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी नेमराज मीणा ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा होना बताया।

परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाफत से मामला रिश्वत लेन देन का होना पाया गया। इस पर इस मन् उप अधीक्षक ने परिवादी नेमराज मीणा को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी पटवारी व दलाल से रिश्वत मांग के सम्बंध में बातचीत कर आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री राम सिंह कानि. 78 को परिवादी नेमराज मीणा व जितेन्द्र कुमार मीणा पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादीगण के साथ आरोपी पटवारी भैरू सिंह के किराये के मकान पर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के जहाजपुर में चौराहे पर प्राइवेट कार में बैठे रहकर परिवादीगण के वापस आने का इंतजार किया।

करीबन 40 मिनट बाद परिवादी नेमराज मीणा व जितेन्द्र कुमार मीणा तथा राम सिंह कानि. 78 वापस आये तथा परिवादी नेमराज मीणा ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि - "मैं व जितेन्द्र कुमार मीणा दोनों पटवारी के किराये के मकान पर डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु करके गये तथा बातचीत की तो पटवारी भैरू सिंह व महेन्द्र कुमार मीणा दलाल ने हमारे से हमारे छोड़े गये दोनों ट्रेक्टर ट्रौली की एवज में बाकि के 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की है तथा रुपये शाम को देने को कहा है। मेरे पास रुपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं शाम तक या कल सुबह रुपये देने की बात कहकर आया हूँ। बातचीत के बाद मैंने डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया था।" श्री राम सिंह कानि. 78 से पूछने पर परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि की। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को जरिये ईयरफोन सुना गया तो आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित अपने पास रखा।

परिवादी नेमराज मीणा को मांग के अनुसार रुपयों की व्यवस्था करके सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा के साथ दिनांक 24.02.2022 को प्रातः 10 बजे जहाजपुर से पहले पीपलून तिराहा पर उपस्थित मिलने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। मन् उप अधीक्षक मय राम सिंह कानि. 78 व चालक प्रेम प्रकाश कानि. 350 के प्राइवेट वाहन से रवाना होकर बूंदी आया। कार्यालय जिला रसद अधिकारी बूंदी के नाम एक तहरीर जारी कर दिनांक 24.02.2022 समय 7.30 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह चौकी पर उपस्थित होने हेतु श्री राम सिंह कानि. 78 को भेजकर गवाहों को पाबन्द करवाया गया।

दिनांक 24.02.2022 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान 1. श्री रईस अली पुत्र स्व. शफीक अली उम्र 42 साल जाति मुसलमान निवासी चारभुजा मन्दिर के पास, तिलक चौक, बूंदी शहर हाल कनिष्ठ सहायक, 2. श्री विकास जोशी पुत्र हेमराज शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 28 साल निवासी भण्डेड़ा तहसील नैनवा जिला बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वाईस रिकार्डर व लेपटॉप प्रिन्टर व अन्य उपकरण प्राइवेट वाहन में रखवाये गये। चालक श्री प्रेमप्रकाश कानि. 350 से मालखाना से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर प्राइवेट वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। तत्पश्चात राजकमल कानि. 330, जितेन्द्र सिंह कानि. 413, मनोज कानि. 452 व स्वतंत्र गवाहान रईस अली, विकास जोशी को एक प्राइवेट वाहन कार से आगे आगे रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय ताराचन्द पुलिस निरीक्षक, शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30, राम सिंह कानि. 78 व चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 दूसरे प्राइवेट वाहन क्रेटा से जहाजपुर रवाना हुये।

मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के प्राइवेट वाहनों वाहन से जहाजपुर से पूर्व निर्धारित स्थान पीपलून तिराहा पर पहुँचा, जहाँ पूर्व में हुई मोबाईल फोन वार्ता के अनुसार परिवादी नेमराज मीणा व सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा उपस्थित मिले। परिवादीगण ने अवगत करवाया कि - "आरोपी पटवारी भैरू सिंह दलाल महेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल से बार बार रिश्वत लेकर बुला रहा है।" जिस पर दोनों परिवादीगण का परिचय स्वतंत्र गवाहों से करवाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहों ने अपनी मौखिक सहमति प्रकट की, जिस पर दोनों गवाहों को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाकर हस्ताक्षर करवाये

गये। परिवादीगण ने बताया कि हमारे पास 25,000 रु की व्यवस्था ही हुई है, मैं महेन्द्र कुमार मीणा को 25,000 रुपये में ही सहमत कर लूंगा। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही अविलम्ब की किया जाना तय हुआ।

परिवादी नेमराज पुत्र श्री रामलाल मीणा निवासी भटखेडी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रुपये के 50 नोट कुल राशि 25 हजार रुपये मन उप अधीक्षक ज्ञानचन्द के समक्ष पेश किये। नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से प्राइवेट वाहन के डेस्क बोर्ड से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर प्राइवेट कार क्रेटा के पीछे की सीट पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटों पर श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से अच्छी तरह से फिनोपथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री नेमराज मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री रईस अली से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन व चाबी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री नेमराज मीणा की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोपथलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से रखवाये गये। तत्पश्चात बोटल से एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 की फिनोपथलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री नेमराज मीणा व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोपथलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी वापस प्राइवेट कार के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटों पर फिनोपथलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री नेमराज मीणा को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री नेमराज मीणा को समझाइश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने या स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें गवाहान को हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द लेपटॉप पर तैयार की जाकर पास में स्थित माँ वेषोदेवी ढाबे पर लेपटॉप से प्रिन्टर कनेक्ट करके फर्द का प्रिन्ट लिया जाकर बाद सम्बधितों के हस्ताक्षर के शामिल पत्रावली किया गया।

समय 10.55 ए.एम. पर आरोपीगण से रिश्वत लेन-देन हेतु परिवादी नेमराज मीणा व सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा एवं राम सिंह कानि. को परिवादी की निजी कार से आरोपी पटवारी के किराये के मकान जहाजपुर रवाना किया एवं मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर जहाजपुर चौराहे पर पहुँचकर परिवादीगण के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी नेमराज मीणा व सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार मीणा एवं राम सिंह कानि. तीनों कार से आये तथा परिवादी नेमराज मीणा ने बताया कि मेरी महेन्द्र कुमार मीणा से मोबाईल पर बात हुई तो उसने बताया कि पटवारी भैरू सिंह जी अपने पटवार हल्का उंचा चले गये हैं। उक्त सूचना पर परिवादी नेमराज, स्वतंत्र गवाहान व राम सिंह कानि., जितेन्द्र सिंह कानि. को कस्बा जहाजपुर में छोड़ा गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाब्ता मय सहपरिवादी कस्बा उंचा रवाना हुआ। समय 11.30 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाब्ता मय सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार के पटवार घर उंचा पहुँचा, जहाँ पटवार घर पर ताला लगा हुआ मिला। आसपास जानकारी करने पर पता चला कि पटवारी जी कुछ समय पूर्व आये थे तथा मोटरसाइकिल लेकर कस्बे में चले गये हैं। इस पर सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार व राजकमल कानि, मनोज कानि. को श्री भैरू सिंह पटवारी पर निरागनी हेतु पटवार घर के पास छोड़ा गया तथा पटवारी के आने पर मन् उप अधीक्षक को सूचना देने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय जाब्ता प्राइवेट वाहन से रवाना होकर जहाजपुर आया। जहाँ पर पूर्व से उपस्थित परिवादी नेमराज, स्वतंत्र गवाहान एवं राम सिंह कानि., जितेन्द्र सिंह कानि. मिलें। परिवादी ने बताया कि मेरी दलाल महेन्द्र से मोबाईल पर बात चीत हुई है वह खाना खाने गांव चला गया है, कुछ समय बाद वापस आयेगा। इस पर आरोपी के आने के इंतजार में कस्बा जहाजपुर में मुकीम रहे।

समय 03.11 पी.एम. पर मनोज कानि. ने जरिये मोबाईल कस्बा उंचा से फोन कर श्री शिवनारायण हैड कानि. को बताया कि पटवारी भैरू सिंह पटवार घर आ गया है। जिस पर मौके पर उपस्थित राजकमल कानि., मनोज कानि. को पटवारी भैरू सिंह पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये। समय 03.19 पी.एम. पर परिवादी नेमराज ने मन् उप अधीक्षक के पास आकर बताया कि "मेरी अभी दलाल महेन्द्र से मोबाईल पर बात हुई है वह खाना खाकर धान्धोला चौराहे पर आ गया है तथा रुपये लेकर वही बुलाया है।" उक्त सूचना पर परिवादी नेमराज, राम सिंह को उसकी निजी कार से धान्धोला

५०

चौराहा रवाना किया एवं राम सिंह को निर्देश दिये कि आरोपी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात जरिये मोबाईल सूचना दे। उक्त कार के पीछे-पीछे जहाजपुर-देवली रोड पर मन् उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवहान व एसीबी जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर धान्धोला चौराहे पर पहुँचे, जहाँ पर आगे चल रही परिवादी की कार के पास आकर एक व्यक्ति आगे की सीट पर बैठ गया तथा कार धीरे-धीरे देवली कस्बे की तरफ जाने लगी।

समय 03.28 पी.एम. पर परिवादी की कार में उपस्थित राम सिंह कानि. ने मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल करके आरोपी महेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की सूचना दी, जिस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा अपनी कार की गति तेज कर परिवादी की कार को रूकवाया एवं आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति के पास जाकर स्वयं को पुलिस अधिकारी होने का परिचय दिया। इसी दौरान आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपने हाथों में ले रखे 500-500 रु के नोटों को स्वयं के पैरो के पास कार में डाल दिया, उक्त राशि को राम सिंह कानि. से उठवाकर मौके पर उपस्थित गवाह रईश अली के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त करके बन्द करके मन् उप अधीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा तथा डिटेशनशुदा व्यक्ति से नाम पूछा तो अपना नाम महेन्द्र कुमार पुत्र फुलचन्द उम्र 32 साल जाति मीणा निवासी रतनपुर थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा होना बताया तथा रिश्वत राशि पटवारी भैरू सिंह के कहेनुसार लेना बताया। चूंकि मौके से पटवारी के फरार होने की सम्भावना के मध्यनजर डिटेशनशुदा दलाल महेन्द्र कुमार को अपनी गाडी में बैठाकर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते के प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर पटवार घर उंचा पहुँचा, जहाँ पर पटवार घर के अन्दर कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसे मन् उप अधीक्षक ने अपना नाम व पद का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भैरू सिंह पुत्र लीला राम उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी नांगल चेचिका तहसील कोटपूतली थाना पनियाला जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गांगीथला अति. चार्ज पटवार हल्का उंचा वृत्त गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा होना बताया। इस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा दलाल महेन्द्र कुमार से आमना सामना करवाकर पूछताछ की तथा महेन्द्र कुमार के माध्यम से परिवादीगण से 25,000 रुपये रिश्वत लेने के सम्बंध में पूछा तो भैरू सिंह पटवारी ने बताया कि दिनांक 19.02.2022 को रात्रि में मेरे पास महेन्द्र कुमार का फोन आया था तथा नेमराज व जितेन्द्र कुमार के बजरी से भरे ट्रेक्टर ट्रोलियों को एसडीएम साहब जहाजपुर श्री दामोदर सिंह द्वारा पकडने पर ट्रेक्टर ट्रोलियों को छुडवाने की बात कही थी तब मैंने मेरे मोबाईल से एसडीएम साहब के मोबाईल पर व्हाटसअप कॉल करके उक्त मामले में बात की थी तब एसडीएम साहब ने प्रति ट्रेक्टर ट्रोली 50 हजार रुपये देने पर छोडने को सहमत हो गये थे। इस पर मैंने एसडीएम साहब से हुई वार्ता के अनुसार सारी बात फोन पर महेन्द्र कुमार को बताई थी तब महेन्द्र कुमार मौके पर एसडीएम साहब के पास चला गया था तथा एसडीएम साहब ने दोनों ट्रेक्टर ट्रोलियों को मौके पर ही छोड दिया था। इसके बाद काफी समय होने के बावजूद भी पूर्व में हुई बातचीत के अनुसार नेमराज व जितेन्द्र ने रुपये नहीं दिये तो मैंने महेन्द्र को दोनों से बात करके रुपये लेकर आने को कहा था क्योंकि एसडीएम साहब मेरे पर दबाव बना रहे थे। एसडीएम साहब हमेशा मोबाईल पर व्हाटसअप कॉल ही करते हैं। मेरे स्वयं के एक एन्डरॉयड मोबाईल में एक सिम नम्बर 9521779007 एयरटेल कम्पनी एवं दूसरी सिम नम्बर 9166721264 आईडिया कम्पनी की है तथा दूसरे कीपैड मोबाईल में बीएसएनएल कम्पनी की सिम नं. 9414575752 की है। एसडीएम साहब दामोदर जी के मोबाईल नम्बर 8302258443, 9599310081 है। महेन्द्र कुमार मीणा के मोबाईल नम्बर 9784172609 है। कल दिनांक 23.02.2022 को नेमराज व जितेन्द्र दोनों मेरे किराये के मकान जहाजपुर आये थे जिनसे मेरी व महेन्द्र की बातचीत हुई थी तब मैंने कहा था कि तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारे ट्रेक्टर ट्रोलियों को एसडीएम साहब से निवेदन कर छुडवाया था। अब आप लोग बातचीत के अनुसार रुपये नहीं दोगे तो मुझे मेरी तनख्वाह मे से एसडीएम साहब को रुपये देने पडेगें। जिसके बाद आज मैं सरकारी काम से ग्राम उंचा आ गया था तथा महेन्द्र ने इनसे कब रुपये लिये मुझे पता नहीं है। मैंने मेरे स्वयं के लिये कोई रुपये नहीं मांगे, बल्कि एसडीएम साहब के लिये पैसे देने के लिये कल बातचीत की थी।

इस पर मौके पर उपस्थित दलाल महेन्द्र कुमार से पूछताछ की तो बताया कि दिनांक 19.02.2022 को नेमराज व जितेन्द्र दोनों के बजरी से भरे ट्रेक्टर ट्रोलियों को एसडीएम साहब ने रात को पकड लिया था तब इन लोगों ने मेरे से सम्पर्क किया था। मेरा सीधा एसडीएम साहब से सम्पर्क नहीं था, इसलिये मैंने पटवारी भैरू सिंह जी के माध्यम से एसडीएम साहब से बातचीत कर इनके ट्रेक्टर ट्रोलियों को छुडवाया था। यह राशि इन लोगों ने ट्रेक्टर ट्रोलियों की एवज में स्वैच्छा से दी है।

मौके पर उपस्थित पटवारी भैरू सिंह से श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर से फोन पर बात करके रुपये प्राप्ति के सम्बंध में फोन पर बात करने को कहा तो भैरू सिंह पटवारी ने बात करने से स्पष्ट मना कर दिया एवं काफी समझाइश करने के बाद भी बात करने का तैयार नहीं हुआ। जिस पर मन् उप अधीक्षक अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ।

आरोपी महेन्द्र कुमार के दोनो हाथों की धुलाई आवश्यक होने से पटवार घर से साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर

डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी महेन्द्र कुमार के दांये हाथ की अंगुलियों को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियों में आधा आधा डालकर शीशियों को सील मुहर किया जाकर मार्क RH-1, RH -2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी महेन्द्र कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियों में आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क LH -1, LH -2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

आरोपी महेन्द्र कुमार से बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच रुपये के 50 नोट कुल राशि 25,000 रुपये मिले है उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह रईश अली के पास सुरक्षित रखवाये गये थे। दोनों स्वतंत्र गवाहान से नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकसी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर गवाहान ने नोटों के नम्बर फर्द में अंकित नम्बरों को देखकर सभी नोटों के नम्बर हु ब हु होना बताया। बरामद नोटों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रुपये	2 AT 833280
2	एक नोट पांच सौ रुपये	2 PT 835761
3	एक नोट पांच सौ रुपये	2 WP 154884
4	एक नोट पांच सौ रुपये	6 AE 900607
5	एक नोट पांच सौ रुपये	7 US 011704
6	एक नोट पांच सौ रुपये	2 CD 936141
7	एक नोट पांच सौ रुपये	8 AT 117957
8	एक नोट पांच सौ रुपये	8 BU 709329
9	एक नोट पांच सौ रुपये	8 FB 771882
10	एक नोट पांच सौ रुपये	9 AM 552561
11	एक नोट पांच सौ रुपये	8 EU 868335
12	एक नोट पांच सौ रुपये	3 PB 680720
13	एक नोट पांच सौ रुपये	8 WT 231397
14	एक नोट पांच सौ रुपये	2 FA 525976
15	एक नोट पांच सौ रुपये	1 FU 334630
16	एक नोट पांच सौ रुपये	4 NF 358354
17	एक नोट पांच सौ रुपये	5 BR 212378
18	एक नोट पांच सौ रुपये	2 RN 235681
19	एक नोट पांच सौ रुपये	3 ED 157417
20	एक नोट पांच सौ रुपये	1 MB 181944
21	एक नोट पांच सौ रुपये	0 FC 287499
22	एक नोट पांच सौ रुपये	6 VG 852187
23	एक नोट पांच सौ रुपये	6 QN 085047
24	एक नोट पांच सौ रुपये	6 AV 789788
25	एक नोट पांच सौ रुपये	8 US 088820
26	एक नोट पांच सौ रुपये	0 GN 309414
27	एक नोट पांच सौ रुपये	8 VF 834653
28	एक नोट पांच सौ रुपये	6 RM 339040
29	एक नोट पांच सौ रुपये	6 DP 961743
30	एक नोट पांच सौ रुपये	3 AU 581877
31	एक नोट पांच सौ रुपये	1 GT 458013
32	एक नोट पांच सौ रुपये	1 BM 840318
33	एक नोट पांच सौ रुपये	7 BC 839967
34	एक नोट पांच सौ रुपये	4 BH 881246
35	एक नोट पांच सौ रुपये	2 FV 042362
36	एक नोट पांच सौ रुपये	3 DN 533214
37	एक नोट पांच सौ रुपये	6 EG 641178
38	एक नोट पांच सौ रुपये	3 QS 129479

39	एक	नोट पांच सौ रुपये	7 CP 291546
40	एक	नोट पांच सौ रुपये	2 ER 248030
41	एक	नोट पांच सौ रुपये	7 QR 769311
42	एक	नोट पांच सौ रुपये	7 DV 682743
43	एक	नोट पांच सौ रुपये	5 ET 297556
44	एक	नोट पांच सौ रुपये	1 GB 288577
45	एक	नोट पांच सौ रुपये	9 AS 448956
46	एक	नोट पांच सौ रुपये	9 UK 801545
47	एक	नोट पांच सौ रुपये	7 CU 170835
48	एक	नोट पांच सौ रुपये	6 AA 612727
49	एक	नोट पांच सौ रुपये	3 BF 687272
50	एक	नोट पांच सौ रुपये	6 DS 802416

उक्त समस्त नोटों को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

आरोपी भैरू सिंह पटवारी, दलाल महेन्द्र कुमार, श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी तथा परिवादीगण के मध्य रिश्वत लेन-देन एवं ट्रेक्टर ट्रोलियों को छोड़ने के सम्बंध में आपस में वार्ताएं करने की पुष्टि हुई है। अतः आरोपी भैरू सिंह पटवारी के पास मिले एक विवो कम्पनी का मोबाईल वाई-73, बरंग सिल्वर-आसमानी, आई.एम.ई.आई. नं. 869175057014193 व 869175057014185 एवं सिम नं. एक सिम नम्बर 9521779007 एयरटेल कम्पनी एवं दूसरी सिम नम्बर 9166721264 आईडिया कम्पनी की है, फोन पर कवर चढा हुआ है, उक्त मोबाईल को मय सिम स्वीच ऑफ किया गया। आरोपी भैरू सिंह पटवारी के पास मिला दूसरा कीपैड सेमसंग कम्पनी का मोबाईल, बरंग काला, आई.एम.ई.आई. नं. 352091/09/954242/8 व 352092/09/954242/6 एवं बीएसएनएल कम्पनी की एक सिम नं. 9414575752 अन्दर डली हुई है, उक्त मोबाईल को मय सिम स्वीच ऑफ किया गया। उक्त दोनों मोबाईल प्रकरण में वांछित होने से बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर थैली पर विवरण सहित मार्क-BM अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार के पास मिले एक ओप्पो कम्पनी का मोबाईल एफ-17, बरंग काम्या, आई.एम.ई.आई. नं. 868015057622838 व 868015057622820 एवं सिम नं. एक सिम नम्बर 9784172609 एवं दूसरी सिम नम्बर 8824528499 की है, फोन पर कवर चढा हुआ है, उक्त मोबाईल को मय सिम स्वीच ऑफ किया जाकर मोबाईल प्रकरण में वांछित होने से बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर थैली पर विवरण सहित मार्क-MM अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के डिटेनशुदा आरोपीगण भैरू सिंह पटवारी, दलाल महेन्द्र कुमार को हमराह लेकर जप्तशुदा आर्टिकल्स के प्राइवेट वाहनों से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के लिये रवाना होकर धान्धोला तिराह पर पहुँचा। परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका फर्द तैयार की गई।

बाद ट्रेप कार्यवाही मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के डिटेनशुदा आरोपीगण भैरू सिंह पटवारी, दलाल महेन्द्र कुमार को हमराह लेकर जप्तशुदा आर्टिकल्स के प्राइवेट वाहनों से बूंदी के लिये रवाना हुआ तथा परिवादीगण को अपने निजी साधन से बूंदी चौकी पहुँचने के निर्देश दिये गये। मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के डिटेनशुदा आरोपीगण भैरू सिंह पटवारी, दलाल महेन्द्र कुमार को हमराह लेकर चौकी बूंदी आया। आरोपीगण को जाप्ते की निगरानी में बैठाया। परिवादीगण भी अपनी निजी कार से चौकी उपस्थित आये।

आरोपी श्री भैरू सिंह पटवारी व दलाल महेन्द्र कुमार को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये जाकर आरोपीगण को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में पृथक-पृथक नोटिस दिया गया तो आरोपीगणों ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में आवाज का नमूना देने से मना कर दिया।

ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री नेमराज व सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार के बजरी से भरे ट्रेक्टर ट्रोलियों को दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाडा राजस्थान द्वारा रोका गया एवं कार्यवाही की धमकी देकर श्री भैरू सिंह गुर्जर पटवारी एवं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा के माध्यम से परिवादीगण से प्रति ट्रेक्टर ट्रोली पचास हजार रुपये कुल एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई। जिसकी सूचना एवं शिकायत दिनांक 23.02.2022 को परिवादीगण द्वारा एसीबी चौकी बूंदी को दी जाने पर सूचना का दिनांक 23.02.2022 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में आरोपी श्री भैरू सिंह गुर्जर पटवारी एवं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा

5

द्वारा आपसी मिलीभगत करके षडयंत्रपूर्वक परिवादीगण से उपखण्ड अधिकारी श्री दामोदर सिंह के नाम से प्रति ट्रेक्टर ट्रौली पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर दलाल महेन्द्र कुमार को परिवादी नेमराज से परिवादी की कार में बैठकर 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडा गया तथा मौके से रिश्वत राशि बरामद की गई। दोनों आरोपीगण का कृत्य धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी. भादसं के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः दोनों आरोपीगण को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

परिवादी श्री नेमराज, सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार तथा आरोपी भैरु सिंह पटवारी, दलाल महेन्द्र कुमार के मध्य दिनांक 23.02.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री नेमराज मीणा तथा आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार के मध्य दिनांक 24.02.2022 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री नेमराज, सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार तथा आरोपी भैरु सिंह पटवारी, दलाल महेन्द्र कुमार के मध्य दिनांक 23.02.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी श्री नेमराज मीणा तथा आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार के मध्य दिनांक 24.02.2022 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं की श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में पांच सी0डी0 तैयार करवाई जाकर चार सी.डी. को कपडे की थैली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। ट्रेप कार्यवाही में अब तक के जप्त आर्टिकल्स मय रिश्वत राशि 25,000 रुपये को श्री शिवनारायण हैड कानि. के जरिये जमा मालखाना करवाया गया। परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान को बाद ट्रेप कार्यवाही रूखस्त किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 23.02.2022 को परिवादी श्री नेमराज पुत्र श्री रामलाल मीणा निवासी भटखेडी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा व उसके मित्र जितेन्द्र कुमार मीणा ने बाद सूचना कस्बा जहाजपुर जिला भीलवाडा में एक रिपोर्ट मुझ उप अधीक्षक ज्ञानचन्द को इस आशय की पेश की, कि - मैं व मेरा दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा दोनों ट्रेक्टर ट्रौली रखते है है तथा खेती-काश्त, रेत/बजरी, पत्थर परिवहन का कार्य करते है। दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को साढे ग्यारह बजे करीब मेरे व मेरे दोस्त जितेन्द्र मीणा के बजरी से भरी ट्रेक्टर ट्रौलियों को एसडीएम साहब दामोदर जी ने प्राइवेट गाडी से गांगीथला तेजाजी के पास आकर हमारे दोनों ट्रेक्टर ट्रौली को रूकवा लिया तथा जब्त करने की धमकी दी। उसके कुछ समय बाद महेन्द्र कुमार मीणा दलाल वहां आया तथा हमसे कहा कि मुझे पटवारी भैरु सिंह जी ने भेजा है, पटवारी जी की एसडीएम साहब से बात हो गई है, पटवारी जी ने ट्रेक्टर ट्रौली को छोडने की एवज में प्रति ट्रेक्टर ट्रौली 50-50 हजार रुपये कुल 1,00,000 रुपये की मांग की है। हमारे द्वारा रुपये देने के आश्वासन पर एसडीएम ने मौके पर ही हमारे दोनों ट्रेक्टर ट्रौली को छोड दिया। जिसमें से एक ट्रेक्टर ट्रौली को स्वयं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा गांव छोड कर आया था। उसके बाद पटवारी भैरु सिंह व दलाल महेन्द्र कुमार मीणा दोनों मेरे व मेरे दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा से 100,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे है एवं रिश्वत नही देने पर भविष्य में हमारे ट्रेक्टर ट्रौली नही चलने देने की धमकी दे रहे है। मैं व मेरा दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा इन लोगो को 100,000 रुपये रिश्वत के नही देना चाहते है बल्कि इनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। मेरी व मेरे दोस्त जितेन्द्र कुमार मीणा की एसडीएम साहब दामोदर जी, पटवारी भैरु सिंह व महेन्द्र कुमार मीणा से कोई आपसी रंजिश नही है तथा कोई उधार का लेन-देन भी बकाया नही है। कार्यवाही करने की कृपा करे।”

शिकायत के सम्बंध में दिनांक 23.02.2022 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में आरोपी श्री भैरु सिंह गुर्जर पटवारी एवं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आपसी मिलीभगत करके षडयंत्रपूर्वक परिवादीगण से उपखण्ड अधिकारी श्री दामोदर सिंह के नाम से प्रति ट्रेक्टर ट्रौली पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर दलाल महेन्द्र कुमार को परिवादी नेमराज से परिवादी की कार में बैठकर 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडा गया तथा मौके से रिश्वत राशि बरामद की गई। आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार मीणा के दोनों हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। आरोपीगण 1. भैरु सिंह पुत्र लीला राम उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी नांगल चेचिका तहसील कोटपूतली थाना पनियाला जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गांगीथला अति. चार्ज पटवार हल्का उंचा वृत्त गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा, 2. आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार पुत्र फुलचन्द उम्र 32 साल जाति मीणा निवासी रतनपुर थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा के विरुद्ध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी. भादसं का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शिकायत, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन-देन वार्ता एवं आरोपीगण से पूछताछ से पाया गया कि परिवादी श्री नेमराज व सहपरिवादी जितेन्द्र कुमार के बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रोलियों को दिनांक 19.02.2022 की रात्रि को श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाडा राजस्थान द्वारा रोका गया एवं कार्यवाही की धमकी देकर श्री भैरु सिंह गुर्जर पटवारी एवं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा के माध्यम से परिवादीगण से प्रति ट्रैक्टर ट्रोली पचास हजार रुपये कुल एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई। जिसके क्रम में आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी नेमराज मीणा से रिश्वत राशि 25,000 रुपये ली गई। सम्पूर्ण मामले में अब तक की कार्यवाही से श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाडा राजस्थान द्वारा ट्रैक्टर ट्रोलियों को रूकवाने एवं आरोपी भैरु सिंह पटवारी से वार्ता होने के बाद मौके पर दलाल महेन्द्र कुमार के पहुँचने के बाद बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर-ट्रोलियों को छोड़ने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। अतः गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भैरु सिंह पटवारी एवं दलाल महेन्द्र कुमार मीणा से श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी की आपराधिक आपसी मिलीभगत की पुष्टि हेतु विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही से श्री दामोदर सिंह उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाडा की भूमिका संदिग्ध है।

आरोपीगण 1. भैरु सिंह पुत्र लीला राम उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी नांगल चेचिका तहसील कोटपूतली थाना पनियाला जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का गांगीथला अति. चार्ज पटवार हल्का उंचा वृत्त गांगीथला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा, 2. आरोपी दलाल महेन्द्र कुमार पुत्र फुलचन्द उम्र 32 साल जाति मीणा निवासी रतनपुर थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा के विरुद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी. भादसं का अपराध प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, अनिब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है।


(ज्ञानचन्द)

उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री भैरू सिंह, पटवारी पटवार हल्का गांगीथला, अति0 चार्ज पटवार हल्का उंचा, वृत गांगीथला, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा एवं 2.श्री महेन्द्र कुमार पुत्र फुलचन्द निवासी रतनपुर, पुलिस थाना जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा(प्राईवेट दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 63/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।



25.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 577-81 दिनांक:- 25.2.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
4. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।


25.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।